manil ?





समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक-

/2016

आवेदकगण

- : 1. रसंतोष आत्मज स्व. केशरी रैकवार, उम लगभग 45 वर्ष,
 - 2. रामदास आत्मज स्व. केशरी रैकवार, उम्र लगभग 38 वर्ष,
 - गुलाब आत्मज स्व. मंगल रैकवार, उम लगभग 55 वर्ष,
 - डेली रैकवार आत्मज स्व. मन्नू रैकवार, उम्र लगभग ३० वर्ष, व्यवसाय—खेती, सभी निवासी— माढोताल, आई.टी. आई. के पास, जबलपुर, थाना—गोहलपुर, जबलपुर (म.प्र.)

भा द्वानी अपूर्व प्रमुख्या विश्व प्रमुख्या मार्च मार्च मार्च मार्च वालियर

5-12-16

विरुद्ध

अनावेदक

मध्यप्रदेश शासन, द्वारा-कलेक्टर, जबलपुर कलेक्ट्रेट आफिस, जबलपुर (म.प्र.)

निगरानी अंतर्गत धारा 41 सीलिंग अधिनियम

आवेदकगण माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 341/बी-90(बी-9)/ 1981-82 में पारित आदेश दिनांक 09.01.1984 एवं न्यायालय अपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2011 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत प्रस्तुत करते है कि :-

- यह कि, आवेदकगण ग्राम माढ़ोताल, तहसील व जिला जबलपुर के स्थायी निवासी हैं, एवं कृषि कार्य करते हैं।
- यह कि, आवेदकगण के स्वामित्व व अधिपत्य की कृषि भूमि
 मौजा माढ़ोताल, नं.बं. 660, प.ह.नं. 25, ख.नं. 116,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ट

प्रकरण क्रमांक पुर्नविलोकन ८५०६/एक/२०१६

जिला-जबलपुर

स्थान तथा	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के
दिनांक		हस्ताक्षर
18-1-17	आवेदकपक्ष के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी उपस्थित। उन्हे ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। वर्तमान प्रकरण नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियमन निरसन अधिनियम 1999 से संबंधित है। जिसका अधिकार इस न्यायलय को नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रचलन योग्य न होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।	
B.T.R.		